प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.09.2025

महिला थाना पुलिस टीम को पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 25000/- रुपये नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के दृष्टिगत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण हेतु कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस निरन्तर प्रभावी कार्यवाही कर रही है।

दिनांक 22.09.2025 को महिला थाना पुलिस टीम द्वारा सराहनीय साहसिक कार्य करते हुए मुठभेड़ के दौरान चोरी/लूट/छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

महिला थाना पुलिस टीम की इस साहसिक कार्य की प्रशंसा करते हुए पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा टीम को 25000/- रुपये के नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया यह उत्कृष्ट कार्य न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है, बल्कि कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूत करने का भी कार्य करेगा।

साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 3,08,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 23.09.2025 को साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री कल्लू पुत्र श्री लिखीराम निवासी म0न0 243 गली नं0 2 प्रहलादगढी इन्दिरापुरम गाजियाबाद के साथ हुए आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर ऑनलाइन साइबर फ्रॉड में ठगी गयी धनराशि 3,08,000/- रुपये वापस करायी गयी।

कार्यवाही का विवरण

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप दिनांक 12.05.2025 को साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से कल्लू पुत्र श्री लिखीराम निवासी म0न0 243 गली नं0 2 प्रहलादगढी इन्दिरापुरम गाजियाबाद के साथ धनराशि 3,59,922/- रुपये की आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर ऑनलाइन साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा धारा 66 डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बन्धित बैकों से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 23.09.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि 3,08,000/- रुपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम।

फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेन्ट व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा नकली घी बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 70 पैकेट(900एमएल) व 05 टिन(133 किलोग्राम) मधुसूदन नकली देसी घी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 23.09.2025 को फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेन्ट व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मधुसूदन क्रीमी फूड्स लिमिटेड कम्पनी के ऑथराइज रिप्रजेन्टिव श्री जितेन्द्र सिंह, (मार्केटिंग इन्टेलीजेन्स ऑफिसर(क्रीमी फूड्स लिमिटेड कार्यालय पता ए 15 सै0 136 गौतमबुद्धनगर व नीरज पाल क्रीमी फूड्स (कम्पनी अधिवक्ता) लिमिटेड कार्यालय पता चैंबर नम्बर 1105 रोहिणी जिला न्यायालय रोहिणी दिल्ली द्वारा सैक्टर 02 बी वैशाली से नकली घी बेचने वाले 02 अभियुक्त 1. विनय अग्रवाल पुत्र विष्णु अग्रवाल निवासी 02 बी/189 सैक्टर 02 बी वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष व 2. भारत अग्रवाल पुत्र विष्णु अग्रवाल निवासी 02 बी/188 सैक्टर 02 बी वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को 70 पैकेट(900एमएल) व 05 टिन(133 किलोग्राम) मधुसूदन नकली देसी घी सहित थाना कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत 189 सेक्टर 02 बी वैशाली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 274, 275 बीएनएस व 63/65 कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त नकली मधुसुदन देशी घी को असली मधुसुदन देशी घी बताकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जनता को भ्रम में डालकर नकली देशी घी को सस्ते दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. विनय अग्रवाल पुत्र विष्णु अग्रवाल निवासी 02 बी/189 सैक्टर 02 बी वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।
2. भारत अग्रवाल पुत्र विष्णु अग्रवाल निवासी 02 बी/188 सैक्टर 02 बी वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

70 पैकेट (900एमएल) व 05 टिन(133 किलोग्राम) मधुसूदन नकली देसी घी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर नकली घी बेचने व कोपीराइट अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखे बनाने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध विस्फोटक पदार्थ निर्मित/ अर्धनिर्मित पटाखे व पटाखे बनाने की सामग्री बरामद।

दिनांक 23.09.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध पटाखे बनाने वाले 03 अभियुक्तों 1.रजनीश पुत्र स्व0 महाराज सिंह निवासी गांव गनौली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद 2.शहजाद पुत्र अकबर निवासी गांव असालतपुर फरुखनगर थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद 3.यामीन पुत्र सलीमुद्दीन निवासी गांव असालतपुर फरुखनगर थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र चिरौडी के एक ट्यूबेल के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अवैध विस्फोटक पदार्थ निर्मित/ अर्धनिर्मित पटाखे व पटाखे बनाने की सामग्री बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धारा 288/125 बीएनएस व 9बी(1) विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम चोरी छिपे आगामी त्यौहार व शादी विवाह पार्टीयों आदि में इस्तेमाल होने वाले पटाखे बना रहे थे जिन्हे बेचकर हम धन अर्जित करना चाहते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.रजनीश पुत्र स्व0 महाराज सिंह निवासी गांव गनौली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।

2.शहजाद पुत्र अकबर निवासी गांव असालतपुर फरुखनगर थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष।

3.यामीन पुत्र सलीमुद्दीन निवासी गांव असालतपुर फरुखनगर थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

04 बडे प्लास्टिक के बोरे पीले कॉटन

01 बडा प्लास्टिक का बोरा सफेद पाउडर कॉटन

12 बडे प्लास्टिक के बोरे बिना बने पटाखों की नलकी

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 240 पव्वे अवैध शराब बरामद।

आज दिनांक 24.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त पातीराम उर्फ प्रमोद कुमार पुत्र प्रेमपाल निवासी खुशी वाटिका, शुक्र बाजार, स्कूल के पास, थाना लोनी बार्डर जिला गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम इटव्वा थाना उझानी जिला बदायूँ उम्र 31 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 240 पव्वे संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दिल्ली से चोरी-छिपे देशी शराब खरीद कर लाते हैं और अधिक मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

पातीराम उर्फ प्रमोद कुमार पुत्र प्रेमपाल निवासी खुशी वाटिका, शुक्र बाजार, स्कूल के पास, थाना लोनी बार्डर जिला गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम इटव्वा थाना उझानी जिला बदायूँ उम्र 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

240 पव्वे संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग तथा लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम का 01अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलो अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 24.09.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गांजा की तस्करी करने वाले शातिर अभियुक्त मजहर अली पुत्र शराफत अली निवासी मौहल्ला गौरी पट्टी निठौरा रोड थाना लोनी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 05 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरादगी के आधार पर थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ। मैं काफी समय से चोरी छिपे दिल्ली से गांजा की तस्करी करता हूँ । दिल्ली से सस्ते दामों में गांजा खरीदकर दिल्ली के आस पास के यूपी क्षेत्र में मंहगे दामों में बेच देता हूँ तथा लाभ अर्जित करता हूँ। आज मैं आस-पास के क्षेत्र में गांजा बेचने की फिराक में निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मजहर अली पुत्र शराफत अली निवासी मौहल्ला गौरी पट्टी निठौरा रोड थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

05 किलो अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर अवैध गांजे की तस्करी करने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना लोनी पर हत्या का प्रयास व आयुध अधिनियम के कुल 03 अभियोग व थाना शालीमार गॉर्डन पर हत्या का प्रयास व बलवा करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-05)**। अभियुक्त थाना लोना से हिस्ट्रीशीटर है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.09.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि एक लडका जिसकी उम्र 22 वर्ष है और जो ई-रिक्शा चालक है, उसने मेरी बेटी जिसकी उम्र 13 वर्ष है, को स्कूल जाते समय कोल्डड्रिंक पिलायी, जिसे पीते ही उसे नशा होने लगा और उस लडके ने मेरी बेटी को नशे की हालत में ओयो होटल में ले जाकर उसके साथ बदसलूकी की एवं मेरी बेटी की कई फोटो एवं वीडियो भी बनाई और उन फोटो/ विडियो को इन्स्ट्राग्राम पर

डालने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 74/123/352(2)/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीड़िता के धारा 180 व 183 बीएनएसएस के बयानों व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65 (1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा धारा 7/8 पाक्सो एक्ट का लोप किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.09.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मुजम्मिल पुत्र शेर खान निवासी गली न0-02 बुद्धनगर सुनहरी मस्जिद के पास थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को बुद्ध बाजार थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं ई-रिक्शा चलाने का काम करता हूँ। मैं अक्सर पीडिता को घर से स्कूल व स्कूल से घर लाया करता था। एक दिन जब पीडिता अपने स्कूल जाने के लिए घर से सुबह निकली थी तो मैंने उसे अपनी ई-रिक्शा में बैठाया और उसे स्कूल के स्थान पर लालबाग मंडी ले गया और उसे रास्ते में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसे एक ओयो होटल में ले गया और उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुजम्मिल पुत्र शेर खान निवासी गली न0-02 बुद्धनगर सुनहरी मस्जिद के पास थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा साइबर फ्रॉड में लिप्त एक अभियुक्त, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार, थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 02 अभियोगों का खुलासा, क्रमश: 13 लाख व 4.96 लाख रुपये बरामद, साथ ही 14 राज्यों की 40 घटनाओं में कुल 6.76 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा।

श्रीमती अर्चना कुमारी निवासी इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के साथ शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर साइबर फ्रॉड की घटना हुई, श्रीमती अर्चना को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ कर फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट में इन्वेस्ट करने के लिये प्रलोभित किया गया। अभियुक्तों द्वारा फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट http://m.ecause-way.com पर शेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनवाकर, शेयर ट्रेडिंग में निवेश के बहाने कुल 45,00,000/- रुपये की साइबर ठगी की गई।

श्री सरताज सिंह निवासी इन्दिरापुरम गाजियाबाद के साथ टेलीग्राम टास्क कम्प्लीट कर मुनाफा कमाने के नाम पर वादी को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर टास्क कम्पलीट कर मुनाफा कमाने के नाम पर 27,30,014/- रुपये की साइबर ठगी की गई। उपरोक्त दोनों घटनाओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोगों में **क्रमश: 13 लाख व 4.96 लाख रुपये बरामद** कराते हुए इन दोनों साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त दीपक कुमार ठाकुर पुत्र रघुनाथ ठाकुर निवासी म0नं0

54, 04 फ्लोर, गली नं0 03 , शकरपुर , दिल्ली मूल पता ग्राम बैका पोस्ट बैकाबेशनपुर थाना फूलपरास जिला मधूबनी बिहार, उम्र 23 वर्ष को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ थाना क्षेत्र विजय नगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त दीपक कुमार ठाकुर ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गैंग है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये दोस्ती कर लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़कर, लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट http://m.ecause-way.com में उनके अकाउन्ट खुलवाकर शेयर ट्रेडिंग तथा टेलीग्राम टास्क में निवेश के बहाने साइबर फ्रॉड की घटना करते हैं। दीपक ठाकुर ने अपने दोस्त सौरभ आनन्द के साथ मिलकर फर्जी कम्पनी के नाम से करेन्ट अकाउन्ट खुलवाकर, इन खातों के क्रेडेन्शियल अपने दोस्त सौरभ आनन्द को दे दिया करता था, सौरभ आनन्द साइबर फ्राड के पैसे उसके खातों में मंगाता था। खातों में आये पैसों के आधार पर इन लोगों को इनका कमीशन मिलता था। सौरभ आनन्द की तलाश की जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इनके गैंग के द्वारा 14 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु के लोगों के साथ कुल 6.76 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की गई है।

विवरण इस प्रकार है - तेलंगाना के साइबराबाद निवासी मल्लिकार्जुन के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 7200000/- रु का फ्रॉड, दिल्ली निवासी प्रेम आहूजा के साथ शेयर ट्रेडिंग में कुल 1500000/- रु का फ्रॉड, गुरुग्राम हरियाणा निवासी प्रतीश रहेजा के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 12,44,000/- रु का फ्रॉड, केरल राज्य के निवासी प्रवीज विजयन के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 1,83,000/- रु का फ्रॉड, कर्नाटक राज्य के बंगलौर शहर निवासी मैरी जेवियर के साथ शेयर ट्रेडिंग में कुल 150000/- रु का फ्रॉड, पुणे निवासी सुजी रोड्रिग्स के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 725000/- रु का फ्रॉड, पुणे निवासी जॉन डियागो रोड्रिग के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 3085000/- रु का फ्रॉड, पुणे निवासी सम्यक दुगड़ के साथ शेयर ट्रेडिंग में कुल 50000/- रु का फ्रॉड, तमिलनाडु निवासी प्रशांत एन रेजिडेंट के साथ शेयर ट्रेडिंग में कुल 1050000/- रु का फ्रॉड, **उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी नीलांबर गुप्ता के साथ शेयर ट्रेडिंग में कुल 550000/- रु का फ्रॉड**, झारखण्ड के जमशेदपुर निवासी राजेंद्र कुमार शर्मा के साथ शेयर ट्रेडिंग में कुल 450000/- रु का फ्रॉड, तेलंगाना के रचाकोंडा निवासी विजयाराजू के साथ शेयर ट्रेडिंग में कुल 205000/- रु का फ्रॉड, आंध्र प्रदेश निवासी राजेश लिंगमनेनी के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 2640000/- रु का फ्रॉड, बिहार के सारण निवासी रमेश कुमार सिंह के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 2350000/- रु का फ्रॉड, केरल के कोट्टायम निवासी मनफ के साथ शेयर ट्रेडिंग में कुल 127000/- रु का फ्रॉड, गुजरात निवासी गजेंद्र गिरी के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 1,81,00,000/- रु का फ्रॉड, कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी निवासी अमृता कुमारी के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 923900/- रु का फ्रॉड, प्रवीना के साथ शेयर ट्रेडिंग में कुल 350000 रु का फ्रॉड, कृष्णा मूर्ति के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 350000/- रु का फ्रॉड, महाराष्ट्र के बृहन् मुंबई शहर निवासी सजीत शेट्टी के साथ शेयर ट्रेडिंग के कुल 3310001/- रु का फ्रॉड, महाराष्ट्र के नवी मुम्बई निवासी कृष्णा पांडे के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 255000/- रु का फ्रॉड, तमिलनाडु राज्य के तांबरम शहर निवासी सरवनन के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 7440000/- रु का फ्रॉड, पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता पूर्व निवासी जमशेद उद्दीन के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 700000/- रु का फ्रॉड, आंध्र प्रदेश के विजयकुमार के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 48500/- रु का फ्रॉड, दिल्ली निवासी प्रीति के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 95050/- रु का फ्रॉड, महाराष्ट्र निवासी योगेश वैराले के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 100000/- रु का फ्रॉड, तेलंगाना निवासी समीना पठान के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 371500/- रु का फ्रॉड, वर प्रसाद राव पुदी के साथ शेयर ट्रेडिंग कुल 2746705/- रु का फ्रॉड की घटनाओं का खुलासा हुआ है। सम्बन्धित पुलिस से सम्पर्क कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दीपक कुमार ठाकुर पुत्र रघुनाथ ठाकुर निवासी म0नं0 54, 04 फ्लोर, गली नं0 03 , शकरपुर , दिल्ली मूल पता ग्राम बैका पोस्ट बैकाबेशनपुर थाना फूलपरास जिला मधूबनी बिहार, उम्र 23 वर्ष, शिक्षा- बीटेक।

बरामदगी का विवरण – घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली टीम - थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा वादिया से मुकदमा लिखाने को लेकर गाली-गलौच करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 22.08.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और वादिया ने अपने ससुराल के 1. कासिफ पुत्र फर्ज़द (पति), 2. फर्ज़द पुत्र सरदार खान (ससुर), 3. कौसर पत्नी फर्ज़द (सास), 4. आयशा पुत्री फर्ज़द (ननद) निवासीगण सी-146A शहीद नगर साहिबाबाद गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश, 5. राशिद पुत्र सरदार खान (चाचा ससुर), निवासी राज हस्पिटल वाली गली साहिबाबाद गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश व 6. लुबना पत्नी नूर आलम (फुफिया सास) निवासी राज हस्पिटल के पीछे वाली गली साहिबाबाद गाज़ियाबाद द्वारा दहेज मांगने एवं ससुर फर्ज़द द्वारा अस्लील हरकते करने एवं मारने पीटने के सम्बन्ध में धारा 85, 64, 352, 115(2) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.09.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चौकी शहीदनगर क्षेत्रान्तर्गत सी ब्लाक गली न0 12 शहीदन नगर के पास वादिया से मुकदमा लिखाने की बात को लेकर गाली-गलौच मारपीट व आमदा फसाद करने वाले वांछित अभियुक्त 1. कासिफ पुत्र फर्जद निवासी म0न0 सी 146 गली न0 13 शहीद नगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष व 2. फर्जद पुत्र सरदार निवासी म0न0 सी 146 गली न0 13 शहीद नगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 56 वर्ष को गिरफ्तार कर धारा 170/126/135(3) बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त वादिया से मुकदमा लिखाने की बात को लेकर गाली-गलौच मारपीट व आमदा फसाद कर रहे थे। दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. कासिफ पुत्र फर्जद निवासी म0न0 सी 146 गली न0 13 शहीद नगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
2. फर्जद पुत्र सरदार निवासी म0न0 सी 146 गली न0 13 शहीद नगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 56 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।